**फा. सं. एवी-20036/74/2015-एडी**
**भारत सरकार**
**नागर विमानन मंत्रालय**

**राजीव गांधी भवन,**
**सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली**
**दिनांक: 2 मई, 2022**

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड,
राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा,
शमशाबाद, हैदराबाद।

**विषय: राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, शमशाबाद, हैदराबाद के संबंध में रियायत समझौते की अवधि का विस्तार।**

**संदर्भ:**

1. दिनांक 20 दिसम्बर, 2004 का रियायत समझौता।
2. एचआईएएल का पत्र संख्या जीएचआईएएल/2020-21/एसपीजी/1526 दिनांक 19 फरवरी, 2021.
3. एचआईएएल का पत्र संख्या जीएचआईएएल /एसपीजी/2021-22/1608 दिनांक 16 जून, 2021.
4. नागर विमानन मंत्रालय का पत्र संख्या एवी.20036/74/2015-एडी दिनांक 28 जून, 2021.
5. तेलंगाना सरकार का पत्र संख्या 1228/एयरपोर्ट्स/2021 दिनांक 27 सितम्बर, 2021.

**महोदय,**

यह भारत सरकार, जो सचिव, नागर विमानन मंत्रालय के माध्यम से कार्यरत है, तथा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एचआईएएल) के मध्य दिनांक 20 दिसम्बर, 2004 को हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के विकास, निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण के लिए हस्ताक्षरित रियायत समझौते के संदर्भ में है।

**2.** हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपने दिनांक 19 फरवरी, 2021 के पत्र **(अनुलग्नक-I)** द्वारा, अपने निदेशक मंडल की स्वीकृति के उपरांत, रियायत समझौते की अवधि को अनुच्छेद 13.7.1 के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त 30 वर्षों के लिए बढ़ाने के अपने विकल्प का उपयोग करने की मंशा एवं निर्णय से भारत सरकार को अवगत कराते हुए रियायत अवधि के विस्तार का अनुरोध किया था। इस अनुरोध के समर्थन में एचआईएएल द्वारा दिनांक 16 जून, 2021 का एक अन्य अभ्यावेदन **(अनुलग्नक-II)** भी प्रस्तुत किया गया।

**3.** एचआईएएल द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का इस मंत्रालय में परीक्षण किया गया तथा निम्नलिखित तथ्य संज्ञान में आए–

**(i)** रियायत समझौते के अनुच्छेद 3.1.1 के अंतर्गत एचआईएएल को हवाईअड्डे के विकास, अभिकल्पन, वित्तपोषण, निर्माण, कमीशनिंग, अनुरक्षण, संचालन एवं प्रबंधन का अधिकार एवं विशेषाधिकार (Concession) प्रदान किया गया है (आरक्षित गतिविधियों के संचालन तथा संचार एवं नेविगेशन निगरानी/वायु यातायात प्रबंधन सेवाओं, जिन्हें भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) द्वारा प्रदान किया जाना है, को छोड़कर)। इस रियायत समझौते को दिनांक 15 दिसम्बर, 2004 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था।

**(ii)** रियायत समझौते के अनुच्छेद 13.7.1 के अनुसार, यदि अनुच्छेद 4.3.1, अनुच्छेद 13.4 अथवा पक्षकारों के बीच लिखित पारस्परिक सहमति के अनुसार पूर्व में समाप्त नहीं किया जाता है, तो यह समझौता अनुच्छेद 4 के अनुसार प्रारंभ होने की तिथि से हवाई अड्डे के उद्घाटन दिवस (Airport Opening Date) की तीसवीं (30वीं) वर्षगाँठ तक पूर्ण प्रभाव एवं वैधता के साथ लागू रहेगा, जिसके उपरांत एचआईएएल के विकल्प पर इसकी अवधि अतिरिक्त तीस (30) वर्षों के लिए बढ़ाई जाएगी।

**(iii)** हवाईअड्डे के उद्घाटन दिवस, जिस दिन हवाईअड्डा परियोजना पूर्ण हुई तथा वाणिज्यिक परिचालन प्रारम्भ हुआ, को दिनांक 23 मार्च, 2008 **(अनुलग्नक-III के रूप में अधिसूचित)** किया गया है। इसके अनुसार वर्तमान रियायत समझौते की अवधि 22 मार्च, 2038 तक है। अनुच्छेद 13.7.1 के प्रावधानों के अनुसार एचआईएएल, हवाईअड्डे के उद्घाटन दिवस की सत्ताईसवीं (27वीं) वर्षगाँठ अर्थात् दिनांक 22 मार्च, 2036 से पूर्व किसी भी समय रियायत समझौते की अवधि को अतिरिक्त 30 वर्षों के लिए बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है।

**(iv)** एचआईएएल ने अपने दिनांक 19 फरवरी, 2021 के पत्र **(अनुलग्नक-I)** में अवगत कराया है कि विमानन क्षेत्र की बढ़ती मांग को पूरा करने हेतु हवाईअड्डे तथा उससे संबंधित अवसंरचना के बड़े विस्तार में किए जा रहे महत्वपूर्ण निवेश को देखते हुए रियायत समझौते की अवधि का विस्तार अत्यंत आवश्यक है। यह विस्तार ऋणदाताओं के दृष्टिकोण से भी आवश्यक है ताकि परियोजना ऋण की पुनर्भुगतान अवधि से आगे तक स्पष्ट रियायत अवधि उपलब्ध रहे।

**4.** उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत, नागर विमानन मंत्रालय ने अपने पत्र संख्या एवी.20036/74/2015-एडी दिनांक 28 जून, 2021 **(अनुलग्नक-IV)** द्वारा एचआईएएल के एक महत्वपूर्ण हितधारक एवं शेयरधारक होने के कारण तेलंगाना सरकार से टिप्पणियाँ/अनुशंसाएँ मांगी थीं। तेलंगाना सरकार ने अपने दिनांक 27 सितम्बर, 2021 के पत्र **(अनुलग्नक-V)** द्वारा एचआईएएल के रियायत समझौते को 30 वर्षों की अतिरिक्त अवधि अर्थात् वर्ष 2068 तक बढ़ाए जाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति प्रदान की है।

**5.** उपर्युक्त स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नागर विमानन मंत्रालय, एचआईएएल के साथ दिनांक 20 दिसम्बर, 2004 को हस्ताक्षरित रियायत समझौते की अवधि को अनुच्छेद 13.7.1 के प्रावधानों के अनुसार 23 मार्च, 2038 से प्रभावी

होकर 22 मार्च, 2068 तक अतिरिक्त 30 वर्षों के लिए बढ़ाते हुए प्रसन्नता का अनुभव करता है। यह स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी–

**क**. हवाईअड्डे के उद्घाटन दिवस की तीसवीं (30वीं) वर्षगाँठ के पश्चात् रियायत समझौते के निम्नलिखित अनुच्छेद प्रभावी नहीं रहेंगे–

(i) अनुच्छेद 5.1.2 (भारत सरकार के दायित्व)
(ii) अनुच्छेद 5.5 (विद्यमान हवाईअड्डा)
(iii) अनुच्छेद 7.7 (कमीशनिंग)
(iv) अनुच्छेद 8.17.2 (न्यूनतम व्यवधान)
(v) अनुच्छेद 10.2 (हवाईअड्डा शुल्क)
(vi) अनुच्छेद 15.5 (विधि में परिवर्तन)

**ख**. अवधि के इस विस्तार से भारत सरकार के अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जिसमें रियायत समझौते के अनुच्छेद 3.3 के अनुसार 4% रियायत शुल्क (Concession Fee) की प्राप्ति भी सम्मिलित है।

**ग**. "प्रमुख हवाईअड्डा" की परिभाषा भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार होगी।

**घ**. एचआईएएल दिनांक 20 दिसम्बर, 2004 के रियायत समझौते के अनुसार सभी आवश्यकताओं का अनुपालन करेगा।

भवदीय,

**(रुबीना अली)**
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

**प्रतिलिपि**:

1. मुख्य सचिव, तेलंगाना सरकार, तेलंगाना सचिवालय, हैदराबाद।
2. विशेष मुख्य सचिव, परिवहन, सड़क एवं भवन विभाग, तेलंगाना सरकार, तेलंगाना सचिवालय, हैदराबाद।
3. अध्यक्ष, ऐरा, ऐरा भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली।
4. अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजीव गांधी भवन, नई दिल्ली।
5. महानिदेशक, नागर विमानन महानिदेशालय, सफदरजंग हवाई अड्डा, नई दिल्ली।
6. महानिदेशक, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, जनपथ, नई दिल्ली।

**प्रतिलिपि (सूचनार्थ)** :

1. माननीय नागर विमानन मंत्री के निजी सचिव।
2. सचिव (नागर विमानन) के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव।
3. नागर विमानन मंत्रालय के सभी संयुक्त सचिव।
4. नागर विमानन मंत्रालय के सभी प्रभाग।

**परिशिष्ट-I**

**हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**
पत्र सं.: जीएचआईएएल /2020-21/एसपीजी/1526
दिनांक: 19 फरवरी, 2021

सेवा में,

सचिव,
नागर विमानन मंत्रालय,
भारत सरकार,
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली - 110003.

**विषय: हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के विकास, निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण हेतु रियायत समझौते की अवधि के विस्तार के संबंध में।**

**संदर्भ:**

1. नागर विमानन मंत्रालय को हमारा पत्र दिनांक 14.08.2013।
2. हमारा पत्र संख्या जीएचआईएएल /2014-15/एसपीजी/1148 दिनांक 27.11.2014.
3. हमारा पत्र संख्या जीएचआईएएल /2016-17/एसपीजी/1278 दिनांक 03.10.2016.

महोदय,

उपरोक्त विषयक हमारे संदर्भित पत्रों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिनकी प्रतियां आपके सुविधाजनक संदर्भ हेतु संलग्न हैं।

उपरोक्त संदर्भ संख्या-1 के अंतर्गत दिनांक 14.08.2013 को मंत्रालय को सूचित किया गया था कि जुलाई, 2013 में जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (जीएचआईएएल) के निदेशक मंडल, जिसमें भारत सरकार एवं राज्य सरकार के नामित निदेशक भी सम्मिलित थे, ने रियायत समझौते के अनुच्छेद 13.7.1 के अनुसार प्रारंभिक अवधि के उपरांत 30 वर्षों के लिए रियायत अवधि बढ़ाने के जीएचआईएएल के अधिकार के प्रयोग को अनुमोदित किया था।

रियायत समझौते की अवधि को 23 मार्च, 2068 तक अतिरिक्त 30 वर्षों के लिए बढ़ाया जाना निम्नलिखित कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण है–

- यह हवाईअड्डा दिनांक 23 मार्च, 2008 को परिचालन प्रारम्भ होने के बाद से लगभग 13 वर्षों का सफल संचालन पूर्ण कर चुका है।
- वर्ष 2008 में संचालन प्रारम्भ होने के बाद से जीएचआईएएल ने रियायत समझौते में निर्धारित सभी प्रदर्शन मानकों को पूरा किया है अथवा उनसे बेहतर प्रदर्शन किया है तथा एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल (ACI) द्वारा अपनी श्रेणी में विश्व के शीर्ष 5 हवाई अड्डों में निरंतर स्थान प्राप्त किया है।
- जीएचआईएएल वर्तमान में ₹6,700 करोड़ से अधिक लागत वाली एक व्यापक क्षमता विस्तार परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है तथा भविष्य में हवाईअड्डे के विस्तार हेतु महत्वपूर्ण निवेश प्रतिबद्धताएँ भी की जा चुकी हैं। इन निवेशों के लिए बड़े पैमाने पर ऋणदाताओं से वित्त जुटाया जाना प्रस्तावित है। यदि मंत्रालय द्वारा रियायत समझौते की अवधि के विस्तार की पुष्टि कर दी जाती है, तो इससे ऋणदाताओं को जीएचआईएएल की ऋण-योग्यता (Creditworthiness) पर अधिक विश्वास एवं आश्वासन प्राप्त होगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत, हमारा विनम्र अनुरोध है कि मंत्रालय कृपया यथाशीघ्र जीएचआईएएल के निदेशक मंडल के रियायत समझौते की अवधि को 23 मार्च, 2068 तक बढ़ाने के निर्णय की पुष्टि करने का कष्ट करे।

धन्यवाद,

भवदीय,

**जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से**

(प्रदीप पाणिक्कर)
**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**

**परिशिष्ट-II**

**हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड**
पत्र सं.: जीएचआईएएल/एसपीजी/2021-22/1608
दिनांक: 16 जून, 2021

सेवा में,

सचिव,
नागर विमानन मंत्रालय,
भारत सरकार,
राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली - 110003.

महोदय,

**विषय**: हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास, निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण हेतु रियायत समझौते की अवधि के विस्तार के संबंध में।

**संदर्भ**:

1. नागर विमानन मंत्रालय को हमारा पत्र दिनांक 14.08.2013
2. हमारा पत्र संख्या जीएचआईएएल/2014-15/एसपीजी/1148 दिनांक 27.11.2014
3. हमारा पत्र संख्या जीएचआईएएल/2016-17/एसपीजी/1278 दिनांक 03.10.2016
4. हमारा पत्र संख्या जीएचआईएएल/2020-21/एसपीजी/1526 दिनांक 19.02.2021

उपरोक्त विषयक हमारे संदर्भित पत्रों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं, जिनकी प्रतियां आपके सुविधाजनक संदर्भ हेतु संलग्न हैं।

दिनांक 19 फरवरी, 2021 के हमारे पत्र (उपरोक्त संदर्भ) के माध्यम से हमने रियायत समझौते की अवधि को 23 मार्च, 2068 तक बढ़ाने का अनुरोध किया था।

जीएचआईएएल निरंतर उच्च स्तर की सेवाएँ प्रदान करता रहा है तथा हाल के वर्षों में निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं–

- वर्ष 2020 के लिए एशिया-प्रशांत क्षेत्र तथा 15-25 मिलियन यात्री श्रेणी में एसीआई एएसक्यू द्वारा **आकार और क्षेत्र के अनुसार सर्वोत्तम हवाईअड्डे** का पुरस्कार प्राप्त किया।

- एसीआई वर्ल्ड द्वारा **वॉइस ऑफ दि कस्टमर** सम्मान प्राप्त किया।
- वर्ष 2020 की चौथी तिमाही (Q4-2020) में **एएसक्यू रेटिंग 5.00** प्राप्त की।
- **एसीआई ग्रीन एयरपोर्ट्स रिकॉगनिशन 2021** में **वायु गुणवत्ता प्रबंधन** श्रेणी के अंतर्गत **गोल्ड अवार्ड** प्राप्त किया।

जैसा कि पूर्व में भी आपको अवगत कराया गया है, जीएचआईएएल वर्तमान में ₹6,700 करोड़ से अधिक लागत वाली क्षमता विस्तार परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इन निवेशों के लिए बड़े पैमाने पर ऋण जुटाया जाना प्रस्तावित है और यदि मंत्रालय द्वारा रियायत समझौते की अवधि के विस्तार की पुष्टि कर दी जाती है, तो इससे ऋणदाताओं को जीएचआईएएल की ऋण-योग्यता के संबंध में आवश्यक विश्वास प्राप्त होगा।

अतः हमारा पुनः विनम्र अनुरोध है कि मंत्रालय कृपया यथाशीघ्र जीएचआईएएल के निदेशक मंडल द्वारा रियायत समझौते की अवधि को दिनांक 23 मार्च, 2068 तक बढ़ाने के निर्णय की पुष्टि करने का कष्ट करे, क्योंकि यह रियायत समझौते के प्रावधानों के अनुरूप है तथा जीएचआईएएल ने रियायत समझौते की सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया है।

धन्यवाद,

भवदीय,

**जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की ओर से**

(प्रदीप पाणिक्कर)
**मुख्य कार्यकारी अधिकारी**

**प्रतिलिपि**:

संयुक्त सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार।

# भारत का राजपत्र

**असाधारण**
**भाग II खंड 3 उप खंड (ii)**

**नागर विमानन मंत्रालय**
**अधिसूचना**
नई दिल्ली, दिनांक 20 मार्च, 2008

का.आ. 533 (अ) - भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, 1994 के खण्ड 40, वायुयान नियमावली 78 के नियम 11 के साथ पठित, वायुयान अधिनियम, 1934 के खण्ड-5 तथा खण्ड-5(क) के अधीन निहित शक्तियों का निर्वाह करते हुए तथा इस संबंध में लागू अन्य

सभी सांविधिक तथा सक्षम शक्तियां, 20 दिसम्बर, 2004 को हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एच.आई.ए.एल.) तथा भारत सरकार के बीच हस्ताक्षरित रियायत करार के उपबंध 5.5 सहित, सभी संविदात्मक वचनबद्धताओं का मान रखते हुए, अधिसूचना संख्या का. आ. 504(अ) दिनांक 14 मार्च, 2008 को और आगे इसके अनुक्रम में, केन्द्र सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि 23 मार्च, 2008 के 00.01 बजे से शमशाबाद में राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे के कार्य आरंभ करने के साथ हैदराबाद का वर्तमान हवाईअड्डा नागर विमानन प्रचालनों के लिए उपलब्ध नहीं होगा (जो इस प्रयोजन के लिए इसमें विमान कार्यकलाप, वी.आई.पी. विमान को लीज़ अथवा किराए पर, विशेष रूप से सरकार के स्वामित्व, विशिष्ट व्यक्तियों के परिवहन के लिए अथवा इस प्रकार के अन्य प्राधिकारियों द्वारा अथवा भारतीय वायु सेना अथवा स्वयं के अथवा प्रचालित (किसी भी समय) अथवा राष्ट्रीय आपातकाल के समय विमान का प्रयोग भारत के अन्य सशस्त्र सेनाओं अथवा अर्ध सैनिक बल अथवा पुलिस अथवा इस प्रकार के प्राधिकारियों के लिए प्रयोग किया जाना शामिल नहीं होगा)। वर्तमान हवाईअड्डे के लिए अंतरराष्ट्रीय विमान परिवहन संघ कोड "एचवाईडी" को उपरोक्त तारीख और समय से राजीव गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे को हस्तांतरित किया जाता है।

वाणिज्यिक विमानों के लिए नागर विमानन प्रचालनों को हटा देने के बावजूद भी सामान्य विमालन सेवाएं (वाणिज्यिक विमान, चार्टर्ड उड़ानों, वाणिज्यिक प्रबंधों के अधीन प्रचालित अथवा किराए पर लिए गए विमान को छोड़ कर) हैदराबाद पर वर्तमान हवाईअड्डे पर प्रदान किया जाना जारी रखा जा सकता है। बेगमपेठ, हैदराबाद के वर्तमान हवाईअड्डे को प्रचालन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को जारी लाइसेंस उपरोक्त सीमा तक विशिष्ट रूप से संशोधित माना जाएगा ।

[फा. सं. एवी-20014/002/2008-एडी]

के. एन. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

**फाइल सं. एवी-20036/74/2015-एडी**

**भारत सरकार**

**नागर विमानन मंत्रालय**

**एडी अनुभाग**

****

राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली।
दिनांक: .06.2021

सेवा में,
**प्रधान सचिव,**
**उद्योग एवं वाणिज्य विभाग,**
तेलंगाना सरकार,
डी-ब्लॉक, द्वितीय तल,
तेलंगाना सचिवालय,
हैदराबाद - 500022

**विषय: हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के विकास, निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण हेतु रियायत - रियायत करार की अवधि के विस्तार के संबंध में।**

महोदय,

मुझे तेलंगाना सरकार के दिनांक 25.11.2016 के डी.ओ. पत्र संख्या 046/सेक्रेटरी पेशी/2016 के संदर्भ में, हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एचआईएएल) के रियायत करार (सीए) की रियायत अवधि के विस्तार के संबंध में, आपका ध्यान आकर्षित करने का निर्देश हुआ है।

2. नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार तथा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (एचआईएएल) के मध्य हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के विकास, निर्माण, संचालन एवं अनुरक्षण हेतु दिनांक 20 दिसम्बर, 2004 को एक रियायत करार (सीए) निष्पादित किया गया था। रियायत करार के खंड 13.7.1 के अनुसार, जिसमें एचआईएएल को 27वीं वर्षगांठ से पूर्व रियायत अवधि को अतिरिक्त 30 वर्ष तक बढ़ाने का अधिकार प्रदान किया गया है, एचआईएएल ने अपने दिनांक 16.06.2021 के पत्र (प्रति संलग्न) के माध्यम से पुनः अनुरोध किया है कि रियायत करार की अवधि प्रारंभिक 30 वर्षों (जो 23 मार्च, 2038 तक वैध है) से आगे अतिरिक्त 30 वर्षों अर्थात् 23.03.2068 तक बढ़ाई जाए।

3. एचआईएएल ने अवगत कराया है कि वह ₹6,700 करोड़ से अधिक की लागत से व्यापक क्षमता विस्तार की प्रक्रिया में है तथा भविष्य में हवाई अड्डे के और विस्तार के लिए भी महत्वपूर्ण प्रतिबद्धताएँ पहले ही की जा चुकी हैं। रियायत करार की अवधि के विस्तार से ऋणदाताओं का एचआईएएल की ऋण-योग्यता के प्रति विश्वास बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त, इस चरण पर रियायत अवधि का विस्तार और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) भी हैदराबाद हवाई अड्डे में अपनी हिस्सेदारी के विनिवेश की प्रक्रिया में है।

4. इस संदर्भ में यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि भारत सरकार ने हाल ही में कर्नाटक सरकार की संस्तुतियों के आधार पर बेंगलुरु हवाई अड्डे के संबंध में भी रियायत अवधि को अतिरिक्त 30 वर्षों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। चूँकि बीआईएएल तथा एचआईएएल दोनों समान स्थिति में हैं, इसलिए एचआईएएल के अनुरोध पर पुनः विचार किया जाना आवश्यक हो जाता है।

5. उपर्युक्त के आलोक में, राज्य सरकार से अनुरोध है कि कृपया एचआईएएल द्वारा रियायत करार की अवधि के विस्तार के अनुरोध पर पुनर्विचार कर अपनी संस्तुतियाँ यथाशीघ्र इस मंत्रालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

**(जोयन्ता चक्रवर्ती)**
निदेशक

दूरभाष: 24610366

**संलग्नक**: उपर्युक्तानुसार।

<u>**अनुलग्नक-V**</u>

**तेलंगाना सरकार**

**परिवहन, सड़क एवं भवन (विमानपत्तन) विभाग**

**दिनांक: 27.09.2021**

<u>**पत्र सं. 1228/विमानपत्तन/2021**</u>

**प्रेषक,**

विशेष मुख्य सचिव,
परिवहन, सड़क एवं भवन विभाग,
तेलंगाना सचिवालय,
हैदराबाद।

**सेवा में,**

सचिव,
नागर विमानन मंत्रालय,
भारत सरकार,
'बी' ब्लॉक, राजीव गांधी भवन,
सफदरजंग हवाई अड्डा,
नई दिल्ली - 110003

**महोदय,**

**विषय: परिवहन, सड़क एवं भवन विभाग – हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के साथ रियायत करार की अवधि में अतिरिक्त 30 वर्ष अर्थात् वर्ष 2068 तक विस्तार – विस्तार हेतु राज्य सरकार की सहमति – प्रेषित।**

**संदर्भ:**

1. कार्यकारी निदेशक, जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के पत्र सं. जीएचआईएएल/2020-21/एसपीजी/1532, दिनांक 23.02.2021, 27.05.2021 तथा 13.09.2021
2. निदेशक, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली का पत्र सं. एवी.20036/74/2015-एडी, दिनांक 28.06.2021।

उपर्युक्त संदर्भित पत्रों के संबंध में आपका ध्यान आकर्षित करते हुए, एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि तेलंगाना सरकार, दिनांक 20.12.2004 के रियायत करार (जो नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार तथा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के मध्य

संपादित हुआ था) की अवधि में अतिरिक्त 30 वर्ष अर्थात् वर्ष 2068 तक विस्तार किए जाने के लिए अपनी सहमति प्रदान करती है।

**भवदीय,**

*(हस्ताक्षर)*

**विशेष मुख्य सचिव**
**तेलंगाना सरकार की ओर से**

**प्रतिलिपि**:

कार्यपालक निदेशक,
आरजीएचआईएएल, शमशाबाद,
हैदराबाद। (सूचनार्थ)

*******